प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम : माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायमूर्ति
माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति

दांडिक अपील क्रमांक - 975/2001

मणिराम देवार

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय

विचारण हेतु -

(सही/-)
श्री सुनील कुमार सिन्हा,
न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव गुप्ता
मैं सहमत हूं।

(सही/-)
मुख्य न्यायमूर्ति

निर्णय हेतु दिनांक 24.06.2009 को सूचीबद्ध करें।

(सही/-)
श्री सुनील कुमार सिन्हा,
न्यायमूर्ति

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम : माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायमूर्ति
माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति

दांडिक अपील क्रमांक - 975/2001

अपीलार्थी : मणिराम देवार पिता गोतमिया देवार, उम्र लगभग 55 वर्ष, साकिन- अचानकपुर, थाना- चकरभाठा, जिला- बिलासपुर (छ०ग०)

बनाम

प्रत्यर्थी : छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा
थाना प्रभारी, थाना- चकरभाटा, जिला- बिलासपुर (छ०ग०)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपील अंतर्गत धारा 374(2), दंड प्रक्रिया संहिता

उपस्थित -

अपीलार्थी हेतु - श्री योगेश्वर शर्मा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी/राज्य हेतु - श्री प्रवीण दास, उप शासकीय अधिवक्ता

निर्णय
(24.06.2009)

इस माननीय न्यायालय का अधोलिखित निर्णय **सुनील कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति** द्वारा प्रदत्त किया गया।

(1) यह अपील माननीय षष्ठम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर (छ०ग०) द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 215/2001 में पारित निर्णय दिनांक 27 अगस्त, 2001 से व्यथित होकर दायर की गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी मणिराम देवार को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत

दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास एवं ₹1,000/- के अर्थदंड तथा अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में 6 माह के कठोर कारावास का दंडादेश दिया गया है।

(2) संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि :-

अपीलार्थी मणिराम देवार एवं 4 अन्य व्यक्तियों पर भारतीय दंड संहिता की धाराएँ 147, 148 एवं 302 सहपठित धारा 149 के अंतर्गत आरोप लगाया गया था। अभियोजन का आरोप इस प्रकार है कि अभियुक्तगण, एक विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य होकर समान उद्देश्य के अग्रसारण में, मृतक शंकर की हत्या कारित किए। घटना कारित होते हुए दो चक्षुदर्शी साक्षी उर्मिला बाई (अ०सा०1) एवं बबलू (अ०सा०2) ने देखा था। उर्मिला बाई मृतक की मौसी है एवं बबलू मृतक का नाबालिग पुत्र है।

अभियोजन का प्रकरण यह है कि दिनांक 22.03.2001 को लगभग अपराह्न 4 बजे मृतक शंकर शराब के नशे की हालत में आया और अपीलार्थी एवं उसके अन्य पारिवारिक सदस्यों (सह-अभियुक्तगण) , जो कि अपीलार्थी मणिराम देवार की पत्नी, पुत्रगण एवं पुत्री हैं) के साथ गाली-गलौज करने लगा। मृतक का भाई, धीरज, उसे घर के अंदर ले गया। कुछ समय बाद मृतक पुनः घर से बाहर आकर अभियुक्तगण के साथ गाली-गलौज करने लगा। आरोप यह है कि मृतक के इस आचरण पर अपीलार्थी मणिराम देवार ने उस पर टंगिया से प्रहार किया जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उक्त घटना की रिपोर्ट उर्मिला बाई (अ०सा०-1) द्वारा संबंधित थाना में किया गया जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र०पी०-1) दर्ज किया गया। प्रथम सुचना रिपोर्ट में सभी 5 अभियुक्तगण के नाम अंकित हैं। विवेचना के दौरान मृतक का मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (प्र०पी०-8) तैयार किया गया एवं शव को शव परीक्षण हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, चकरभाठा भेजा गया, जहाँ डॉ. बी०डी० सोनवानी (अ०सा०-8) द्वारा शव परीक्षण संपन्न कर अपना रिपोर्ट (प्र०पी०-11) तैयार किया गया। शव परीक्षण करने वाले अन्तःपरीक्षक ने मृतक के शरीर पर 5 छिन्न घाव पाए। उन्होंने दाहिने ओर के पश्चकपाल, पार्श्विका, शंख एवं ललाट अस्थियों में अस्थिभंग पाए और यह अभिमत व्यक्त किया कि मृत्यु का कारण मस्तिष्क जैसे मार्मिक अंग में चोट लगने से उत्पन्न आघात था तथा मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक थी।

आगे की विवेचना में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत अपीलार्थी का मेमोरेंडम कथन (प्र०पी०-4) दर्ज किया गया जिससे प्राप्त जानकारी में एक टांगिया बरामद हुआ जिसे जब्ती पत्रक प्र०पी०-5 के अनुसार जब्त किया गया।

सामान्य विवेचना पूर्ण होने के उपरांत, 5 अभियुक्तगण के विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बिलासपुर के न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने प्रकरण को संबंधित सत्र न्यायालय को उपार्पित किया, जहाँ से यह प्रकरण अंतरण पर माननीय षष्ठम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर के न्यायालय को प्राप्त हुआ जिन्होंने विचारण पश्चात अपीलार्थी/अभियुक्त को उपर्युक्तानुसार दोषसिद्ध कर दंडादेश का निर्णय पारित किया, तथापि अन्य 4 सह-अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया गया।

(3) अपीलार्थी के विरुद्ध दोषसिद्धि का निर्णय 2 चक्षुदर्शी साक्षीगण अर्थात् उर्मिला बाई (अ०सा०-1) एवं बाबलू (अ०सा०-2) के कथनों पर आधारित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) अपीलार्थी की ओर से उपस्थित श्री योगेश्वर शर्मा, अधिवक्ता, द्वारा न तो मृतक के मानववध प्रकृति पर विवाद किया गया है और न ही इस अपराध में अपीलार्थी की संलिप्तता से इन्कार किया है। उनका यह तर्क रहा है कि वास्तव में अपीलार्थी द्वारा प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग किया गया था क्योंकि मृतक लाठी से सुसज्जित होकर अपीलार्थी के घर आया था ताकि उस पर तथा उसके पारिवारिक सदस्यों (4 सह-अभियुक्तगण) पर हमला कर सके, जिससे अपीलार्थी को यथोचित आशंका उत्पन्न हुई कि यदि वह मृतक पर प्रहार नहीं करेगा तो मृतक उनकी हत्या कर देगा। अधिवक्ता द्वारा अ०सा०-1 उर्मिला बाई एवं अ०सा०-2 बाबलू के साक्ष्य तथा प्र०पी०-1 प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं प्र०पी०-8 शव परीक्षण पंचनामा की विषयवस्तु पर हमारा ध्यान आकर्षित किया।

(5) दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित श्री प्रवीण दास, विद्वान उप-शासकीय अधिवक्ता द्वारा इन तर्कों का विरोध करते हुए सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अभिवाक् अपीलार्थी के पक्ष में उपलब्ध नहीं

होगा तथा यह अभिवाक् अपीलार्थी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई थी, अतः अपील में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

(6) हमने उभय पक्षकार के अधिवक्तागण के तर्कों को विस्तार से सुना एवं सत्र प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया।

(7) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **काशी राम एवं अन्य बनाम मध्यप्रदेश राज्य**, जो कि **ए०आई०आर० 2001 एस०सी० 2902** में प्रकाशित है, के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया गया कि "यद्यपि साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 105 सबूत के भार से संबंधित नियम का प्रावधान करती है, तथापि इसका यह अर्थ नहीं कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अभिवाक् विशेष रूप से प्रस्तुत करना आवश्यक है और यदि प्रस्तुत नहीं किया जाए तो वह विचारण हेतु उपलब्ध नहीं होगा, भले ही वह प्रकरण के साक्ष्यों से सिद्ध होता हो। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अभिवाक् अभियोजन साक्षीगण के प्रतिपरीक्षण में, अथवा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अभियुक्तगण के कथन में, अथवा बचाव पक्ष का साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सकता है। और, यदि यह अभिवाक् इन तीनों में से किसी भी प्रकार से प्रस्तुत नहीं किया गया हो, तब भी प्रकरण में विद्यमान संभावनाओं एवं परिस्थितियों के आधार पर अंतिम तर्क के दौरान इसे उठाया जा सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(8) इसके अतिरिक्त, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **बिष्णा उर्फ भिष्वदेब महतो एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य**, जो कि **(2005) 12 एस०सी०सी० 657** में प्रकाशित है, के प्रकरण के कंडिका 78 में यह अवलोकित किया गया कि "साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 उस अभियुक्त पर सबूत का भार डालती है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अभिवाक् प्रस्तुत करता है और सबूत के अभाव में न्यायालय उक्त अभिवाक् की सत्यता अथवा असत्यता की उपधारणा हेतु सक्षम नहीं होगा। यद्यपि अभियुक्त को कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है; वह अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण से आवश्यक तथ्यों को उगलवाकर उक्त तथ्य सिद्ध कर सकता है। वह अपना अभिवाक् अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से उत्पन्न परिस्थितियों से भी सिद्ध कर सकता है।"

(9) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **सलीम ज़िया बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**, जो कि **ए०आई०आर० 1979 एस०सी० 391** में प्रकाशित है, के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यह सत्य है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अभिवाक् को प्रमाणित करने का जो सबूत का भार अभियुक्त पर है, वह उतना कठोर नहीं है जितना अभियोजन पर होता है। जहाँ अभियोजन को अपना प्रकरण संदेह से परे प्रमाणित करना होता है, वहीं अभियुक्त को अपना अभिवाक् पूर्णतः सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वह केवल संभावनाओं के प्राबल्य को स्थापित कर अपना भार का निर्वहन कर सकता है, चाहे अभियोजन साक्षीगण के प्रतिपरीक्षण में उस अभिवाक् के आधार पर या बचाव साक्ष्य प्रस्तुत कर।

(10) अतः हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि भले ही विचारण के स्तर में अपीलार्थी द्वारा प्राइवेट प्रतिरक्षा का अभिवाक् विशेष रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया था, तथापि यदि वास्तव में वह उसे उपलब्ध थी, तो वह प्रकरण में विद्यमान संभावनाओं एवं परिस्थितियों के आधार पर ऐसा अभिवाक कर सकता है। अभियुक्त को कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है और वह अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण से आवश्यक तथ्यों को उगलवाकर अपने सबूत के भार का निर्वहन कर सकता है अथवा अभियोजन साक्ष्य से उत्पन्न परिस्थितियों से भी इसे सिद्ध कर सकता है, या फिर वह बचाव साक्ष्य प्रस्तुत कर इस भार का निर्वहन कर सकता है। इस दृष्टिकोण को इस न्यायालय द्वारा **अखिलेश कुमार एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य**, जो कि **2008 (1) सि०जी०एल०जे० 85 (डी०बी०)** में प्रकाशित है, के प्रकरण में अपनाया गया है। अतः, राज्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ता का यह तर्क कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अभिवाक् स्वीकार नहीं किया जा सकता, निरर्थक है एवं इसे अस्वीकार किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(11) अब हम श्री योगेश्वर शर्मा द्वारा प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के संबंध में प्रस्तुत तर्क का परीक्षण करेंगे। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार दण्ड संहिता की अध्याय चार में परिभाषित सामान्य अपवादों की श्रेणी में आता है। धारा 96 यह उपबंधित करता है कि जो कुछ प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया जाता है, वह अपराध नहीं है। यह

अभिवाक् केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं है जो यह अधिकार प्रयोग कर रहा है, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति हेतु भी विस्तृत होती है। धारा 96 एवं 98 कुछ अपराधों एवं कृत्यों के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रदान करती है और धारा 99 यह उपबंधित करती है कि किन कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है। यह स्पष्ट रूप से प्रावधान करती है कि यदि कोई लोक सेवक द्वारा अपने पदाभास में सद्भावपूर्वक कार्य करते हुए कोई ऐसा कार्य किया जाता है या करने का प्रयत्न किया जाता है, जिससे मृत्यु या घोर उपहाति की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित नहीं होती है, तो ऐसे कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है, भले ही वह कार्य विधि अनुसार न्यायसंगत न भी हो। इसी प्रकार, यदि कोई कार्य, जिससे मृत्यु या घोर उपहति की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित नहीं होती, सद्भावपूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक के निर्देश से किया जाता है, या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, तो उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह निर्देश विधि अनुसार न्यायसंगत न भी हो एवं यह भी कि उन दशाओं में, जिनमें लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए समय है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। इस अधिकार के प्रयोग का विस्तार यह है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उतनी ही अपहानि से अधिक अपहानि करने पर नहीं है, जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से करनी आवश्यक है। धारा 100 यह उपबंधित करती है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार, पूर्ववर्ती अंतिम धारा में वर्णित निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, हमलावार की स्वेच्छया मृत्यु कारित करने या कोई अन्य अपहानि कारित करने तक है, यदि वह अपराध, जिसके कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है, एतस्मिनपश्चात प्रगणित भंतियों में से किसी भी भांति का है, अर्थात पहला- ऐसा हमला जिससे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका उत्पन्न हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगा; दूसरा- ऐसा हमला जिससे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका उत्पन्न हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम घोर उपहति होगा। मृत्यु कारित करने तक विस्तृत प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार दावा करने हेतु अभियुक्त को यह दर्शाना आवश्यक है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनसे यह युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न हुई कि या तो मृत्यु अथवा घोर उपहति उसे हो सकती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इस संबंध में सबूत का भार अभियुक्त पर होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 102 एवं 105 शरीर एवं संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रारम्भ एवं उसके बने रहने के प्रावधानों से संबंधित है। यह अधिकार का प्रारंभ और बना रहना उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है, जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की युक्तियुक्त आशंका पैदा होती है, चाहे वह अपराध किया न गया हो, और वह तब तक बना रहता है जब तक शरीर के संकट की ऐसी आशंका बनी रहती है। अन्य शब्दों में, यह अधिकार उतनी ही अवधि तक विस्तृत रहता है, जितनी अवधि तक शरीर के संकट की युक्तियुक्त आशंका बनी रहती है।

(12) अतः यदि यह दावा किया जाता है कि अभियुक्त द्वारा अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए कोई कार्य किया गया है, तो उसे यह प्रदर्शित करना आवश्यक है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनसे यह युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न हुई कि यदि उस अधिकार का प्रयोग न किया गया होता तो मृत्यु अथवा घोर उपहति होना निश्चित था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(13) अब हम उपर्युक्त सिद्धांतों के आलोक में वर्तमान प्रकरण का परीक्षण करते हैं।

(14) अ०सा०-1 उर्मिला बाई ने यह कथन किया है कि घटना दिनांक को लगभग शाम 6 बजे उसने शोरगुल सुना। अ०सा०-2 बाबलू "मार डाला–मार डाला" कहकर रो रहा था। वह तुरंत अपने मकान के चबूतरे के पास पहुँची। चबूतरा अपीलार्थी मणिराम के घर के बगल में है। वहाँ मणिराम (अपीलार्थी), संतराम (मणिराम का पुत्र), छिंगरा (मणिराम का अन्य पुत्र) एवं सीमा (मणिराम की पुत्री) मृतक शंकर पर हमला कर रहे थे। सीमा के हाथ में तब्बल एवं मणिराम के हाथ में टंगिया था। उसने इस संबंध में रिपोर्ट प्र०पी०-1 दर्ज कराया है। अ०सा०-2 बाबलू, जो घटना दिनांक को लगभग 9 वर्ष का था, ने कथन किया है कि उसके पिता पर सीमा ने तब्बल से हमला किया एवं मणिराम ने भी उसके पिता पर टंगिया से हमला किया। अभियुक्त संतराम एवं छिंगरा ने भी लोहे के रॉड से उसके पिता पर हमला किया। उसके पिता की मृत्यु उक्त हमला से उत्पन्न चोटों के कारण हुई है। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी को उसके केस डायरी कथन (प्र०डी०-2) से सामना कराया गया, जिसमें उसने यह कथन किया था कि केवल मणिराम ने ही उसके पिता पर टंगिया से हमला किया था और

अन्य सह-अभियुक्तगण द्वारा तब्बल एवं लोहे के रॉड से हमला करने का तथ्य उसमें उल्लेखित नहीं है। प्र०पी०-1 प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु भी यह दर्शाती है कि मृतक पर वास्तविक हमला का आरोप केवल अपीलार्थी मणिराम के विरुद्ध लगाया गया था और अन्य अभियुक्तगण के विरुद्ध केवल यह आरोप था कि उन्होंने मृतक को उस समय घेर लिया था जब अपीलार्थी द्वारा हमला किया जा रहा था। उपर्युक्त लोप के कारण ही अन्य सह-अभियुक्तगण को इस प्रकरण में दोषमुक्त कर दिया गया है। आगे के प्रतिपरीक्षण में, अ०सा०-2 बाबलू ने स्पष्टतः स्वीकार किया कि यह सही है कि घटना की शुरुआत उसके पिता द्वारा गाली-गलौज करने से हुई थी और यह भी सही है कि उसके पिता लाठी लेकर हमला करने हेतु घटनास्थल पर गये थे तथा यह झगड़ा उसके पिता द्वारा दी गई चुनौती से प्रारंभ हुआ था। उसने यह भी स्वीकार किया कि यह सही है कि उसके पिता ने सबसे पहले सीमा, संतराम और छिंगरा पर हमला किया था। स्पष्टत: घटना अपीलार्थी के घर के सामने कि है, जैसा कि नक्शा (प्र०पी०-10) तथा पंचनामा (प्र०पी०-8) से परिलक्षित होता है। परिशीलन पश्चात, हम यह पाते हैं कि मृतक शंकर लाठी लेकर अपीलार्थी के घर गया और मृतक द्वारा दी गई चुनौती के कारणवश झगड़ा प्रारंभ हुआ। मृतक द्वारा अपीलार्थी के पुत्र एवं पुत्री पर भी हमला किया गया था और इसी परिप्रेक्ष्य में मणिराम ने मृतक पर हमला किया। अभियुक्त संतराम की चोट संबंधी प्रतिवेदन प्र०पी०-15 के रूप में प्रमाणित है। उक्त प्रतिवेदन के अनुसार उसे दो साधारण चोटें, जो कि खरोंच थी, पहुंची थी। उपरोक्त प्रचलित तथ्यों एवं परिस्थितियों में अपरिहार्य निष्कर्ष यह निकलता है कि मृतक शंकर ही आक्रामक पक्ष था और इस प्रकार अपीलार्थी के पक्ष में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उत्पन्न हुआ क्योंकि उसे यह युक्तियुक्त आशंका होना स्वाभाविक था कि यदि वह स्वयं एवं अपने परिवार के सदस्यों की रक्षा नहीं करेगा तो मृतक उनकी मृत्यु अथवा घोर उपहति कारित कर सकता था।

(15) अब हम यह देखेंगे कि क्या अपीलार्थी द्वारा प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का समुचित एवं आनुपातिक प्रयोग किया गया है अथवा मृतक की मृत्यु कारित कर उसने विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति का अतिक्रमण किया है। जैसा कि पूर्व में उल्लेखित है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अधिकार कुछ प्रतिबंधों के अधीन है। प्रथम दृष्टया, यह अधिकार किसी भी स्थिति में प्रतिरक्षा हेतु आवश्यक सीमा से अधिक हानि पहुँचाने तक विस्तृत नहीं है। अतः यदि कोई व्यक्ति प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रयोग करते हुए ऐसी स्थिति में मृत्यु कारित करता है जहाँ प्रतिरक्षा हेतु ऐसा करना आवश्यक नहीं था, तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 के अपवाद 2 के अधीन विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति का अतिक्रमण करता है। अपवाद 2 का संचालन तभी होता है जब कथित अपराधी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण करता है, इस शर्त के अधीन कि उसने बिना पूर्वचिन्तन के मृत्यु कारित किया गया हो तथा मृतक की मृत्यु प्रतिरक्षा हेतु आवश्यक सीमा से अधिक हानि पहुँचाने के किसी उद्देश्य के बिना हुआ हो। वर्तमान प्रकरण में मृतक हाथ में डण्डा लेकर अपीलार्थी के घर आया था। वह नशे की हालत में था। उसने अपीलार्थी एवं उसके परिवारजनों (अन्य सह-अभियुक्तगण) के साथ गाली-गलौज किया तथा उन पर हमला भी किया। मृतक के इस आचरण के कारणवश अपीलार्थी द्वारा मृतक के सिर पर टंगिया से कई बार हमला किया गया। उपर्युक्त परिस्थितियों से यह परिलक्षित होता है कि यद्यपि अपीलार्थी का कार्य किसी विशेष उद्देश्य या पूर्वचिन्तन से नहीं था, तथापि उसने मृतक को अत्यधिक चोटें पहुँचाकर प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का निश्चित रूप से अतिक्रमण किया है। अतः अपीलार्थी का मामला धारा 300 भारतीय दण्ड संहिता की अपवाद-2 के अधीन आता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी दोषमुक्ति का दावा नहीं कर सकता। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में हत्या का अभियोग असफल होगा, परन्तु अपीलार्थी भारतीय दण्ड संहिता के धारा 304 भाग-1 के अधीन दोषसिद्धि हेतु उत्तरदायी होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(16) फलस्वरूप, यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन दिए गए दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के निर्णय निरस्त किये जाते हैं। इसके स्थान पर, अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 भाग-1 के अंतर्गत दोषसिद्ध कर 10 वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड दिया जाता है। अपीलार्थी दिनांक 24.03.2001 से कारागार में निरुद्ध है। उसे, विधि के अनुसार, पूर्व में भुगती गई कारावास की अवधि के समायोजन का लाभ प्राप्त होगा।

सही/- **सही/-**

मुख्य न्यायाधीश **न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा**

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिसाबित माना जाएगा एवं कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by Soumitra Kesharwani, Advocate

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur